

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 908 / 14

संस्थापन दिनांक : 15.10.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—महेन्द्र पुत्र कक्कड़सिंह कुशवाह उम्र 40 वर्ष
  - 2—रामकृष्ण पुत्र कक्कड़सिंह कुशवाह उम्र 55 वर्ष
  - 3—सरनाम पुत्र कक्कड़सिंह कुशवाह उम्र 60 वर्ष
  - 4—गुलाब पुत्र कक्कड़सिंह कुशवाह उम्र 53 वर्ष
- निवासीगण ग्राम अन्नाइच थाना गोहद जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 504, के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324 / 34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.09.14 को 11:30 बजे चौली वाला खेत ग्राम पाली थाना गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी पिन्टू अ0सा01 की सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में खतरनाक उपकरण खोलिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.14 को 11:30 बजे फरियादी पिन्टू अ0सा01 टैक्टर लेकर खेत जोतने चौकी वाले हार में गया था तो उसके खेत में अन्नाइच के कुशवाह भैंसे चरा रहे थे उसने कहा कि भैंसे किसकी हैं तो आरोपी रामकृष्ण बोला कि भगा दो जब उसने भैंसे भगा दी तो इसी बात पर आरोपी सरनाम आया और गाली गलौच करने लगा उसने गाली देने से मना किया तो सरनाम ने खोलिया मारा जो उसके बांये पैर की पिंडली में लगा और खून निकल आया तथा गुलाब ने डण्डा मारा जो दाहिने हाथ की गद्दी में लगा जिससे मूंदी चोट आई तथा महेन्द्र ने डण्डा मारा जो दाहिने पैर के टखना में लगा जिससे मूंदी चोट आ गयी तभी उसके चाचा सुरेन्द्र व जितेन्द्र आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया। तत्पश्चात फरियादी पिन्टू अ0सा01 ने अदम चैक प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर मेडीकल उपरांत थाना गोहद में अप0क्र0 325 / 14 की एफ.आई.आर. पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना

उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 25.09.14 को 11:30 बजे चौली वाला खेत ग्राम पाली थाना गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी पिन्टू अ0सा01 की सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में खतरनाक उपकरण खोलिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी पिन्टू अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व दोपहर में चौली वाले हार पर वह जा रहा था तब रास्ते में आरोपीगण भैंस ले जा रहे थे उसने कहा कि आगे फसल है भैंस चली जायेगी और मना किया इस बात पर आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। मिट्टी में गिरने के कारण उसे चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट कर दी थी अदम चैक प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर नहीं आई थी। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 25.09.14 को आरोपीगण की भैंस उसके खेत में चर रही थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी संग्राम ने उसे खोलिया मारा था जो बांये पैर की पिंडली में लगा था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि शेष आरोपीगण ने लाठी से मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अतः घटना के प्रत्यक्ष साक्षी फरियादी पिन्टू अ0सा01 ने ही अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा स्वयं को चोट पहुंचाये जाने के संबंध में स्वयं को खोलिया का उपयोग किए जाने से इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण आहत साक्षी द्वारा ही उपहति के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने 25.09.14 को 11:30 बजे चौली वाला खेत ग्राम पाली थाना गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी पिन्टू अ0सा01 की सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में खतरनाक उपकरण खोलिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0